(4)

प्रकरण संख्या : 1/2023
चिरन्जी वगै. बनाम किशना वगै.
निर्णय दिनांक : 05.03.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 1/2023
दायर दिनांक : 13.01.2023
निर्णय दिनांक : 05.03.2024

1. चिरन्जी पुत्र रामदेव जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. गणपत पुत्र लक्षमण जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
3. रामजीलाल पुत्र लक्षमण जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
4. छाजू पुत्र हजारी जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
5. प्रभात पुत्र हजारी जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
6. बनवारी पुत्र हजारी जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
7. सुदामा पुत्र हजारी जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
8. अंगुरी पत्नी लोहडीराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
9. कविता पुत्री लोहडीराम नाबालिग जरिये माता अंगूरी जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
10. नीरज कुमार पुत्र लोहडीराम नाबालिग जरिये माता अंगूरी जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
11. रामावतार पुत्र घासी जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
12. सुरेश पुत्र घासी जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
13. दिनेश पुत्र घासी जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
14. कालू पुत्र घासी जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. किशना पुत्र गंगल्या जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. हरगोविन्द पुत्र गंगल्या जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
3. ईश्वर पुत्र गंगल्या जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

4. सावलराम पुत्र सीताराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
5. पूरण पुत्र सीताराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
6. महेन्द्र पुत्र सीताराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
7. महावीर पुत्र सीताराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
8. कैलाशी पत्नी सीताराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
9. रेवडी पुत्री सीताराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
10. बाबूलाल पुत्र कन्हैया जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
11. रामचन्द्र पुत्र कन्हैया जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
12. कैलाश पुत्र कन्हैया जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
13. शान्ति पुत्री कन्हैया जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
14. प्रेम पुत्री कन्हैया जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
15. कौशल्या पुत्री कन्हैया जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
16. लाडा देवी पत्नी लल्लूराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
17. हरिमोहन पुत्र लल्लूराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
18. राकेश पुत्र लल्लूराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
19. उर्मिला पुत्री लल्लूराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
20. जगदीश पुत्र नहनूराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
21. जौहरीलाल पुत्र नहनूराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
22. मुरारी पुत्र नहनूराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
23. रामस्वरूप पुत्र नहनूराम जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
24. छुट्टन पुत्र सुरजन जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
25. मलखान पुत्र सुरजन जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 13:50:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

26. राजकुमार पुत्र सुरजन जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
27. भगवती पत्नी सुरजन जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
28. ममता पुत्री सुरजन जाति माली, निवासी ग्राम अट्टा बिजौरी ढाणी पाडल्या तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
29. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 की ग्राम अट्टा बिजौरी पटवारी हल्का भाण्डारेज भू॰अ॰नि॰ भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा में कृषि कार्य हेतु भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी खाता संख्या नया 138 के खसरा नम्बर 3795 रकबा 0.24 है॰ बंजड, खसरा नम्बर 3796 रकबा 0.20 है॰ बारानी–1, खसरा नम्बर 3800 रकबा 0.05 है॰ बारानी–1, खसरा नम्बर 3801 रकबा 0.06 है॰ बारानी, खसरा नम्बर 3802 रकबा 0.07 है॰ बारानी, खसरा नम्बर 3803 रकबा 0.05 है॰ चाही–3, खसरा नम्बर 3828 रकबा 0.14 है॰ बारानी–1, खसरा नम्बर 3829 रकबा 0.15 है॰ बारानी–1, खसरा नम्बर 3830 रकबा 0.16 है॰ बारानी–1, खसरा नम्बर 3831 रकबा 0.14 है॰ चाही–3 कुल खसरे 10 कुल रकबा 1.26 है॰ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम अट्टा बिजौरी के अन्दर स्थित है। इसके अन्तर्गत प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में उक्त वर्णित आराजी खातेदार काश्तकार काबिज काश्तकार दर्ज है तथा मौके पर प्रार्थीगण काश्तकार काबिज काश्तकार दर्ज है तथा मौके पर प्रार्थीगण काश्तकार काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। इसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि से लगती हुयी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 की कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 का एकमात्र उद्देश्य प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि को दबाना है इसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं। येन केन प्रकारेण प्रार्थीगण की भूमि को हडपने पर आमादा रहते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 28 को कई बार यह समझाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 का कोई लेना देना नहीं है और फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 के मन में कोई बात हो तो उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी सीमा कायम करवा दी जावे। किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आये तो प्रार्थीगण ने [illegible] आराजी का सीमाज्ञान करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 30.05.2022 को श्री[illegible] उप तहसीलदार साहब भाण्डारेज के आदेश क्रमांक 594 दिनांक 30.05.2022 की [illegible] में प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2022 को किया जाकर मौका पर्चा रिपोर्ट बनायी गयी। यह कि उप तहसीलदार द्वारा गठित टीम द्वारा उक्त सीमाज्ञान कर दिये जाने एवं मौके पर सीमाचिह्न कायम कर देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं एवं उनका एकमात्र उद्देश्य प्रार्थीगण से अनावश्यक सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को दबाना है एवं इसी उद्देश्य की पूर्ति में दिनांक 25.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 प्रार्थीगण की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 13:50:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

आराजी वादग्रस्त आराजी के पूर्व में किये गये सीमाचिह्नों को हटा दिया एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के कुछ सीमाचिह्नों को हटा दिया एवं प्रार्थीगण की खातेदारी में दीवार बनाने का प्रयास करने लगे तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 को बडी मुश्किल से समझाया तब जाकर वे रुके किन्तु वे धमकी दे रहे हैं कि वे मौका मिलते ही प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि को दबाकर रहेंगे। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाकर सीमाएँ कायम कर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हुआ है। यदि अविलम्ब ही प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी नहीं करवाई गई तो मौके पर शांति भंग होकर झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। ऐसी स्थित में उक्त आराजी की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 29 को आदेश फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 3795 रकबा 0.24 बंजड, खसरा नम्बर 3796 रकबा 0.20 बारानी–1, खसरा नम्बर 3800 रकबा 0.05 बारानी–1, खसरा नम्बर 3801 रकबा 0.06 है॰ बारानी, खसरा नम्बर 3802 रकबा 0.07 है॰ बारानी, ख़सरा नम्बर 3803 रकबा 0.05 चाही–3, खसरा नम्बर 3828 रकबा 0.14 है॰ बारानी–1, खसरा नम्बर 3829 रकबा 0.15 है॰ बारानी–1, खसरा नम्बर 3830 रकबा 0.16 है॰ बारानी–1, खसरा नम्बर 3831 रकबा 0.14 है॰ चाही–3 कुल किता 10 कुल रकबा 1.26 है॰ वाके ग्राम अट्टा बिजौरी तहसील भाण्डारेज में मौके पर अनुभवी पटवारियों एवं गिरदावर की टीम गठित कर पुलिस जाप्ता भिजवाया जाकर सीमाज्ञान करके पत्थरगढी की सीमाएँ कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5, 7 लगायत 9, 20 लगायत 22 व 27 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरुदयाल गुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 19 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार विजय द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सख्या 6, 23, 24, 25, 26 व 28 बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 7 लगायत 19 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 1101 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम भाण्डारेज के 3/4 हिस्से के खातेदार व काबिज काश्तकार मांग्या, सोन्या पुत्र पाँच्या व 1/4 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार रामदेव पुत्र पाँच्या जाति माली निवासी भाण्डारेज थे। यह कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1101 के सेटलमेन्ट के दौरान नम्बर बदलकर नये खसरा नम्बर 3798, 2822, 2836, 2835, 3797, 3821, 3827, 3834, 3836, 3799, 3823, 3824, 3825, 382, 3883, 3795, 3796, 301, 3802, 3803, 3828, 3830, 3831 बन गये हैं। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को तकास्मा करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी व बिना लैण्ड होल्डर तहसीलदार की सहमति के बिना तकास्मा नहीं हो सकने के बावजूद भी बिना पक्षकारान को सुनवायी का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकारान की सहमति के बिना तकास्मा नहीं होने के बावजूद भी कानून के विपरीत तरीके से सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने बिना कोई तारीख अंकित किये बिना उक्त भूमि का विधि विरुद्ध तरीके से [illegible] निशानियाँ करवाकर उक्त भूमि का तकास्मा कर दिया और उक्त भूमि का तकास्मा करके [illegible] हमारे कब्जे की भूमि को [illegible] को कन्हैया व हमारे दीगर लोगों के नाम लगा दिया और दीगर लोगों के कब्जे की [illegible] तरीके से तकास्मा कर दिया। उक्त सहायक [illegible] नाम लगा दिया। इस प्रकार कब्जे के विपरीत [illegible] कलक्टर महोदय दौसा के यहाँ भू–प्रबन्ध अधिकारी के तकास्मा के आदेश के विरुद्ध [illegible] की प्रस्तुत की जो चल रही है। यह कि एक अपील अनुवानी बाबूलाल बनाम चिरंजीलाल की उक्त फर्जी तकास्मे के आधार पर प्राप्त की गयी खातेदारी के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं, जिनका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 13:50:11 IST
Reason: SelfAttested

(8)

अप्रार्थी संख्या 20 लगायत 22 व 27 को अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी इनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। अतः इनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 29 की ओर से तहसीलदार भांडारेज ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अट्टा बिजौरी के खसरा नम्बर 3795, 3796, 3800, 3801, 3802, 3803, 3828, 3829, 3830, 3831 कुल किता 10 कुल रकबा 1.26 है. खातेदार अंगूरी पत्नी लोहडीराम हि. 7/432, नाबा. कविता पुत्री लोहडीराम संरक्षक माता हि. 7/432, कालू पुत्र घासी हि. 1/16, गणपत पुत्र लक्ष्मण हि. 1/8, चिरंजी पुत्र रामदेव हि. 1/4, छाजू पुत्र हजारी हि. 1/20, दिनेश पुत्र घासी हि. 1/16, नाबा. नीरजकुमार पुत्र लोहडीराम हि. 19/1080 संरक्षक माता, प्रभात पुत्र हजारी हि. 1/20, बनवारी पुत्र हजारी हि. 1/20, रामजीलाल पुत्र लक्ष्मण हि. 1/8, रामावतार पुत्र घासी हि. 1/16, सुदामा पुत्र हजारी हि. 1/20, सुरेश पुत्र घासी हि. 1/16 जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व में राजस्व दल द्वारा प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर वर्तमान में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 19 की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी का पूर्व में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तरीके से तकास्मा किया गया था। उक्त गलत तकास्मे के विरुद्ध एक अपील वर्तमान में मा. न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन है। आराजी वादग्रस्त होने की स्थिति में साक्ष्य लिया जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 19 की ओर से मा. न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण बाबूलाल वगै. बनाम चिरंजी वगै. के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का कथन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 7 लगायत 19 की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज फरमाने का कथन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी का पूर्व में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तरीके से तकास्मा कर दिया गया था एवं उक्त तकास्मे के विरुद्ध मा. न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष एक अपील भी वर्तमान में विचाराधीन है किन्तु अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रश्नगत आराजी पर मा. न्यायालय जिला कलक्टर दौसा की ओर से किसी प्रकार का स्थगनादेश होने के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त तहसीलदार भांडारेज ने अपने जवाब में प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने का कथन किया है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। [illegible] प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] किया जाता है एवं तहसीलदार भांडारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम अट्टा बिजौरी तहसील भांडारेज स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3795, 3796, 3800, 3801, 3802, 3803, 3828, 3829, 3830, 3831 कुल किता 10 कुल रकबा 1.26 है. का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 13:50:11 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

खित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर लिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भांडारेज को पालना हेतु तहरीर जारी । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 13:50:11 IST
Reason: SelfAttested